



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022025-260873
CG-DL-E-10022025-260873

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 669]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 10, 2025/माघ 21, 1946

No. 669]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 10, 2025/MAGHA 21, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2025

का.आ. 673(अ).— आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार 'भाईकाका यूनिवर्सिटी' आनंद, गुजरात (पैन: AAGAB9280N) को आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ 'विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था' की श्रेणी के अंतर्गत 'वैज्ञानिक अनुसंधान' हेतु अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख (अर्थात् पूर्व वर्ष 2024-25) से लागू होगी तथा तदनुसार निर्धारण वर्षों 2025-26 से 2029-30 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 15/2025/फा. सं. 203/27/2024/ITA-II]

कास्त्रो जयप्रकाश टी., अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन: यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।